भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2807**

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2025

**'उम्मीद' पोर्टल का कार्यान्वयन**

**2807. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:**

**श्री इटेला राजेंदर:**

**श्रीमती डी. के. अरुणा:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उम्मीद (यूएमईईडी) पोर्टल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क कर रही है, जिसमें देश भर में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करना अनिवार्य किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य वक्फ बोर्डों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को पोर्टल की वैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शीघ्र ही लागू किए जाने वाले नियमों से अवगत कराया और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य प्राधिकरणों से सुझाव भी आमंत्रित किए और कई वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने कुछ पट्टे संबंधी प्रावधानों पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने वक्फ बोर्डों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है तथा राज्यवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**

**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) और (ख) जी हां, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (UMEED) अधिनियम, 1995 की धारा 3(टक) के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने दिनांक 06.06.2025 को UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 विकसित और लॉन्च किया है। मंत्रालय UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क कर रहा है और देश भर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों ने UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 पर डेटा अपलोड करना शुरू कर दिया है। डेटा प्रविष्टि की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

मंत्रालय ने UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहयोग प्रदान किया है। इसके शुभारंभ से पहले, पोर्टल के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों की प्राप्त प्रतिक्रियाओं को शामिल करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ 28.02.2025 और 08.05.2025 को दो परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम 26-27 मई 2025 को आयोजित किया गया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों से प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उनकी स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिक्रियाएं और सुझाव प्राप्त किए गए थे। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के साथ संरेखित सुझावों को पोर्टल में शामिल किया गया है क्योंकि यह पोर्टल एक वैधानिक पोर्टल है। पोर्टल के शुभारंभ के बाद, बोर्डों द्वारा उठाई गई शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की गई है। **28.07.2025 तक** देश भर से **लगभग 140 शिकायतें/सुझाव** प्राप्त हुए हैं और उनके समाधान भी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं ताकि अन्य बोर्डों को पोर्टल की कार्यप्रणाली को समझने और प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिल सके।

दिनांक 02.05.2025, 25.06.2025 और 03.07.2025 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और वक्फ बोर्डों के साथ इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गईं। मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी भी ऑन-साइट सहायता प्रदान करने, समस्याओं का समाधान करने और UMEED केंद्रीय पोर्टल के संचालन में बोर्डों का मार्गदर्शन करने के लिए क्षेत्रीय दौरे कर रहे हैं।

(ग): जी हां, महोदय, केंद्र सरकार ने UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 के शुभारंभ के माध्यम से वक्फ बोर्डों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड इससे जुड़ गए हैं और उन्होंने पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि शुरू कर दी है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, वक्फ बोर्ड और जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना की सलाह दी है। इन पीएमयू का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन में सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सभी संपत्तियों का विवरण छह महीने की अवधि के भीतर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए।

*****

अनुबंध-I

'उम्मीद' पोर्टल का कार्यान्वयन' विषय पर दिनांक 06.08.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2807

वक्फ उपयोगकर्ता रिपोर्ट

| क्र. सं. | राज्य वक्फ बोर्ड | अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू करने वाले निर्माताओं की संख्या | डेटा प्रस्तुत करने वाले निर्माताओं की संख्या | डेटा सत्यापनकर्ताओं की संख्या | स्वीकृत अनुमोदन कर्ताओं की संख्या | कुल अस्वीकृत संपत्ति | अनुमोदन हेतु लंबित कुल संपत्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 69 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | असम | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | बिहार शिया | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | बिहार सुन्नी | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | दिल्ली | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | गुजरात | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | हरियाणा | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | झारखंड | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | कर्नाटक | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | केरल | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | महाराष्ट्र | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | मणिपुर | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र. सं. | राज्य वक्फ बोर्ड | अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू करने वाले निर्माताओं की संख्या | डेटा प्रस्तुत करने वाले निर्माताओं की संख्या | डेटा सत्यापनकर्ताओं की संख्या | स्वीकृत अनुमोदन कर्ताओं की संख्या | कुल अस्वीकृत संपत्ति | अनुमोदन हेतु लंबित कुल संपत्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | मेघालय | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | ओडिशा | 193 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27. | पुडुचेरी | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पंजाब | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | राजस्थान | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | तमिलनाडु | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | तेलंगाना | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | त्रिपुरा | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | उत्तराखंड | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | उत्तर प्रदेश शिया | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | उत्तर प्रदेश सुन्नी | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | पश्चिम बंगाल | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल** | **663** | **69** | **0** | **0** | **4** | **0** |

*****